एसबीआई कार्ड के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

1. फीस और शुल्क

A. वार्षिक शुल्क एवं नवीकरण शुल्क

एसबीआई क्रेडिट कार्ड (एसबीआई कार्ड) पर वार्षिक फीस और नवीकरण शुल्क लागू है। वार्षिक शुल्क एक बार और नवीकरण शुल्क हर साल लगाया जाता है। ये शुल्क कार्डधारक से कार्डधारक, और विभिन्न प्रकार के कार्ड के लिए भिन्न हो सकते हैं। कार्डधारक को इनके बारे में क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय सूचित किया जाएगा। ये शुल्क, जो भी लागू हो, सीधे कार्डधारक के खाते में लगाया जाता है और जिस महीने लगाया जाता है उसी महीने की कार्ड विवरणी में उल्लेखित किया जाता है। प्राथमिक कार्डधारक को जारी किए गए अतिरिक्त कार्ड का शुल्क अलग हो सकता है।

A. **नकद अग्रिम शुल्क**

कार्डधारक आपात स्थिति में घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय एटीएम से नकदी प्राप्त करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी सभी निकासी पर एक लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा और कार्डधारक को अगली विवरणी में प्रभारित किया जाएगा। लेनदेन शुल्क, घरेलू एटीएम पर 2.5% या रू.300 जो भी अधिक हो और अंतरराष्ट्रीय एटीएम पर 3% या रु.300 जो भी अधिक हो, लगाया जाएगा। लेनदेन शुल्क एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल) के विवेकानुसार परिवर्तन के अधीन हैं। सभी नकद अग्रिम पर एक वित्त प्रभार भी लगाया जाएगा जो निकासी की तिथि से पूर्ण भुगतान की तिथि तक के लिए परिक्रामी जमा पर लागू प्रभारों (शुल्क की अनुसूची देखें) के बराबर होगा।

B. **नकद भुगतान शुल्क**

कार्डधारक एसबीआई कार्ड की बकाया राशि का भुगतान चुनिंदा एसबीआई बैंक शाखाओं या एसबीआई एसोसिएट्स बैंक शाखाओं में जाकर पे-इन स्लिप में क्रेडिट कार्ड नंबर और राशि लिखकर इसे शाखा के काउंटर पर ही जमा कर कर सकते हैं। आपके बिल का भुगतान करने के बाद एक त्वरित भुगतान पावती रसीद प्रदान की जाएगी। यह सेवा रु.100 + सभी लागू कर पर उपलब्ध है।

C. **प्रभार**

i. कार्डधारक को एसबीआईसीपीएसएल द्वारा प्रदान की जा रही विशिष्ट सेवाओं या अपने कार्ड अकाउंट के संदर्भ में कार्डधारक द्वारा की गई चूक के लिए उचित प्रभार और शुल्क, जो भी समय-समय पर लागू हों, कार्डधारक द्वारा देय होंगे।

ii एसबीआईसीपीएसएल समय-समय पर, कार्डधारकों को नियत सूचना देकर, किसी भी प्रभार या शुल्क में परिवर्तन करने या कोई नया शुल्क या प्रभार लागू करने, जो भी यह उचित समझे, का अधिकार रखता है।

D. **ब्याज मुक्त अनुग्रह अवधि**

ब्याज मुक्त ऋण की अवधि 20 से 50 दिनों तक हो सकती है जो व्यापारी द्वारा दावा प्रस्तुत करने के अधीन होगी। तथापि, अगर पिछले महीने की शेष राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है या कार्डधारक ने किसी भी एटीएम से नकदी प्राप्त की है तो, यह लागू नहीं होगी।

E. **वित्त प्रभार (सेवा प्रभार)**

कार्डधारक द्वारा अपनी शेष राशि का पूर्ण भुगतान न करने की स्थिति में, सभी लेनदेन पर, अदत्त ईएमआई किश्तों सहित, और कार्डधारक द्वारा उठाए गए सभी नकद अग्रिमों पर, वित्तीय प्रभार लेनदेन की तारीख से पूर्ण भुगतान की तिथि तक मासिक ब्याज की दर पर देय होंगे। कार्ड की ब्याज दर गतिशील है और कार्डधारक के उपयोग और भुगतान पैटर्न पर आधारित होगी और आवधिक समीक्षा के अधीन है। अगर कार्डधारक देय तिथि (PDD) से पहले कुल देय रकम (TAD) का कुछ हिस्सा या कोई भी भुगतान नहीं करता है; उपभोक्ता की पिछले महीनों की और वर्तमान महीने की बकाया राशि, कुल देय रकम का भुगतान देय तिथि से पहले हो जाता है तो वित्तीय प्रभार भुगतान की तिथि तक अंत शेष पर लगाया जाएगा।

वित्तीय शुल्क की वर्तमान दर लेन-देन की तारीख से प्रति माह 3.35% [प्रतिवर्ष 40.2%] तक है और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल) के विवेकानुसार परिवर्तन के अधीन है। वित्त प्रभार, यदि देय हैं, लागू करों की वसूली के अधीन होंगे और कार्डधारक के खाते में नामे किए जाएंगेजब तक कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।

a. नकद अग्रिम पर वित्तीय प्रभार लेनदेन की तारीख से लेकर पूर्ण भुगतान लागू होने तक लिया जाता है।

उदाहरण 1 - कार्ड विवरणी की तिथि - प्रत्येक माह की 15 तारीख

16 जून '15 से - 15 जुलाई '15 के बीच के लेनदेन

1. रू.5000 की खुदरा खरीद - 20 जून'15 पर
2. रू.7000 की नकद निकासी - 10 जुलाई'15 पर

मान लिया जाये कि 15 जून, 2015 की विवरणी से कोई पिछला शेष आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को उसकी 15 जुलाई की विवरणी में रुपये 12,000 का लेनदेन दिखेगा, रू.7,000 की नकद निकासी पर लागू दर से 5 दिनों के वित्त प्रभार के साथ। कार्डधारक को 5 अगस्त 2015 तक बकाया राशि का भुगतान करना होगा, यानि विवरणी की तारीख से 20 दिन के अंदर, पूरी राशि या न्यूनतम बकाया राशि के बीच कुछ भी। कृपया ध्यान दें कि आपके क्रेडिट कार्ड के बकाया राशि की भुगतान राशि में से, पहले न्यूनतम बकाया राशि समायोजित की जाएगी (सभी लागू कर सहित, ईएमआई पर आधारित उत्पाद की ईएमआई, + कुल बकाया का 5%), शुल्क और अन्य प्रभार (यदि हो तो) जिसके बाद शेष राशि स्थानांतरण शेष (अगर कोई हो),
खुदरा शेष (अगर कोई हो) और अंत में आपका नकदी बकाया समायोजित किया जाएगा (अगर कोई हो)। वित्तीय प्रभार पिछली विवरणी की तारीख से लगाया जाएगा, गैर-ब्याज बकाया खुदरा शेष को छोड़कर, जहां वित्तीय प्रभार लेनदेन की तारीख से लगाया जाता है।

यदि बकाया विवरणी में कोई नकद शेष न हो और न ही पिछली विवरणी से आगे लाया गया हो और विवरणी की तारीख पर खुदरा बकाया राशि का भुगतान देय तिथि तक पूरा कर दिया गया हो तो, ऐसी शेष राशि पर कोई भी वित्तीय प्रभार नहीं लगाया जाता है।

उदारण 2 - कार्ड विवरणी की तिथि - प्रत्येक माह की 2 तारीख

3 जनवरी '15 - 2 फरवरी '15 के बीच किए गए लेनदेन

1. रू.10000 की खुदरा खरीद -5 जनवरी '15
2. रू.30000 की ऑनलाइन खरीद -15 जनवरी '15 को

मान लिया जाये कि 2 जनवरी, 2015 की विवरणी से कोई पिछला शेष आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को अपने 2 फ़रवरी की विवरणी में रू. 40,000 का लेनदेन दिखाई देगा। कार्डधारक को 22 फ़रवरी, 2015 तक की बकाया राशि का भुगतान करना होगा, यानि विवरणी की तारीख से 20 दिन तक, पूरी राशि या न्यूनतम बकाया राशि के बीच कुछ भी।

यदि विवरणी में कोई नकद शेष बकाया न हो और किसी पिछली विवरणी से आगे नहीं लाया गया हो और विवरणी की तारीख पर बकाया खुदरा राशि का भुगतान देय तिथि तक पूरा कर दिया गया हो तो, ऐसी शेष राशि पर कोई भी वित्तीय प्रभार नहीं लगाया जाता है।

हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने के परिणाम स्वरूप पुनर्भुगतान वर्षों तक चलेगा, आपकी बकाया राशि पर ब्याज के साथ। उदाहरण के लिए रू.5,000 के एक सौदे पर हर महीने न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान किया जाता है (हर महीने न्यूनतम राशि रू.200 होने पर), तो पूरी बकाया राशि का पूरा भुगतान करने में 44 महीने तक का समय लग जाएगा।

उदाहरण 3 -

कार्ड विवरणी की तिथि - प्रत्येक माह की 2 तारीख

3 मार्च '15 - 2 अप्रेल '15 के बीच किए गए लेनदेन

(a.i.1) वार्षिक शुल्क रू. 500 -5 मार्च '15 को

(a.i.1) रू. 72.50 पर लागू कर -5 मार्च '15 को

(a.i.2) रू. 6000 की ऑनलाइन खरीद-15 मार्च '15 को

मान लिया जाये कि पिछली 2 मार्च, 2015 की विवरणी से कोई शेष राशि आगे नहीं लाई गई है, कार्डधारक को अपने 2 अप्रैल की विवरणी में रू.6752.50 का लेनदेन दिखाई देगा। कुल देय राशि को रुपए रू.6573 क रूप में पूर्णांकित किया जाएगा। कार्डधारक को 22 अप्रेल, 2015 तक की बकाया राशि का भुगतान करना होगा, यानि विवरणी की तारीख से 20 दिन में, पूरी राशि या न्यूनतम बकाया राशि के बीच कुछ भी।

मान लिया जाये कि कार्डधारक 22 अप्रैल 2015 को न्यूनतम बकाया राशि रुपये 398 (कुल बकाया का 5%) + लागू कर, निकटतम दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित, का भुगतान करता है तो, वित्तीय प्रभार प्रभावी दर से लगाया जाएगा और कुल बकाया राशि में जोड़ा जाएगा। प्रभावी दर 3.35% को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रभार की गणना इस प्रकार से की जाएगी:

रू.500 की शेष राशि पर (5 मार्च से 22 अप्रेल तक) 49 दिन के लिए: (3.35∗12)∗(49/365)∗500/100= रू. 26.98

रू. 72.5 पर लागू करों पर (5 मार्च से 22 अप्रेल तक) 49 दिन के लिए: (3.35∗12)∗(49/365)∗72.50/100= रू. 3.91

रू.6000 की शेष राशि पर (15 मार्च से 22 अप्रेल तक) 39 दिन के लिए: (3.35∗12)∗(39/365)∗6000/100= रू. 257.72

रू. 6,175 की शेष राशि पर (22 अप्रेल से 2 मई तक) 10 दिन के लिए: (3.35∗12)∗(10/365)∗6,175 /100= रू.68

लगाया गया कुल ब्याज = रू. 356.61

यह मानते हुए कि कार्डधारक 3 अप्रैल '15 से 2 मई '15 के बीच कोई लेनदेन नहीं करता है। बकाया खरीद राशि का योग, ब्याज प्रभार, शुल्क और प्रभार, यदि कोई हो, और सभी लागू कर दिनांक 2 मई की विवरणी में कुल देय राशि के रूप में प्रतिबिंबित होता है।

यदि कार्डधारक हर महीने न्यूनतम बकाया राशि (5%) का भुगतान करते रहता है और ब्याज की राशि का भुगतान भी करता है तो वह 20 महीने (100% / 5%-20) में बकाया राशि चुकता कर देगा।

उदाहरण 4 :

कार्ड के ब्यौरे की तारीख – हर महीने की दूसरी तारीख।

3 दिसंबर, 2015 – 2 जनवरी, 2016 के बीच किए गए लेन–देन

1. 500 रूपये की फुटकर खरीदारी – 15 दिसंबर 2015 को

2. 600 रूपये की आनलाईन खरीदारी – 20 दिसंबर 2015 को

यह मानते हुए कि पिछला शेष भाग 2 दिसंबर 2015 के ब्यौरे से आगे नहीं ले जाया गया है, कार्डधारक को 1100 रूपये कुल देय राशि अपने 2 जनवरी के ब्यौरे में 1100 रूपये के लेन–देन को दर्शाते हुए मिल जाएगी। कार्डधारक को बकाया राशि का भुगतान ब्यौरे की तारीख से अगले 20 दिन में, पूरी रकम राशि या न्यूनतम देय राशि में से किसी एक का भुगतान 22 जनवरी तक करना है।

यह मानते हुए कि कार्डधारक ने 500 रूपये की आंशिक रकम का भुगतान 22 जनवरी को किया है, वित्तीय शुल्क प्रभावी दर से लगाया जाएगा और पूरी बकाया राशि में जोड़ा जाएगा। 3.35 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रभावी दर को मद्देनजर रखते हुए, वित्तीय प्रभार की गणना इस प्रकार की जाएगी :

500 रूपये की शेष राशि पर (15 दिसंबर से 22 जनवरी तक) 39(दिनों के लिए :
(3.35*12) * (39/365) *500/100 = रूपये 21.48

600 रूपये की शेष राशि पर (20 दिसंबर से 22 जनवरी तक) 34(दिनों के लिए :
(3.35*12) * (34/365) *600/100 = रूपये 22.47

600 रूपये की शेष राशि पर (22 जनवरी से 2 फरवरी तक) 10 दिनों के लिए :
(3.35*12) * (10/365) *600/100 = रूपये 6.61

कुल ब्याज : रूपये 50.56

3 फरवरी 2016 – 2 मार्च 2016 के बीच किए गए लेन–देन

1. रूपये 650.56 की आरंभिक जमा राशि – 3 फरवरी 2016 को

2.1000 रूपये की फुटकर खरीदारी – 5 फरवरी 2016 को

3. 3000 रूपये की आनलाईन खरीदारी – 15 फरवरी 2016 को

यह मानते हुए कि रूपये 650.46 की पिछली जमा राशि 2 फरवरी 2016 के ब्यौरे से आगे भेजी गई है, कार्डधारक को बकाया राशि का भुगतान ब्यौरे की तारीख से अगले 20 दिन में, पूरी रकम राशि या न्यूनतम देय राशि में से किसी एक का भुगतान 22 फरवरी तक करना है।

यह मानते हुए कि कार्डधारक ने 15 फरवरी तक पूरी रकम का भुगतान देय तिथि के अंदर कर दिया है। 3.35 प्रतिशत प्रतिमाह की प्रभावी दर को मद्देनजर रखते हुए, वित्तीय प्रभार की गणना इस प्रकार की जाएगी :

रूपये 650.56 की शेष राशि पर (3 फरवरी – 15 फरवरी) 12 दिनों के लिए :
(3.35*12) *(12/365) * 650.56/100 = रूपये 8.60

कुल ब्याज : रूपये 8.60

खरीदारी की बकाया राशि, ब्याज प्रभार, फीस और प्रभार, अगर है, और सभी लगने वाले करे 2 मार्च के ब्यौरे में कुल जमा राशि में दर्शाए जाएंगे।

A. विलंब भुगतान प्रभार

   यदि भुगतान की नियत तिथि तक न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विलंब भुगतान प्रभार लागू होगा।

   रू.0-रू.200 तक बकाया कुल राशि पर शून्य; रू.200 से अधिक एवं रू.500 तक की कुल बकाया राशि पर रू.100; रू.500 से अधिक एवं रू.1000 तक की कुल बकाया राशि पर रू.400; रू.1000 से अधिक एवं रू.10,000 तक की कुल बकाया राशि पर रू.500; रू.10000 से अधिक की कुल बकाया राशि पर रू.750;

उदाहरण **1 -**

कार्ड विवरणी तिथि - प्रत्येक माह की 2 तारीख

3 जन.'15 - 2 फरवरी '15 के बीच किए गए लेनदेन पर

(a.i.1) रू.5000 की खुदरा खरीद पर -5 जनवरी ’15 को

(a.i.2) रू. 5000 की ऑनलाइन खरीद पर -15 जनवरी ’15 को

मान लिया जाये कि 2 जनवरी, 2015 की विवरणी से कोई पिछला शेष आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को अपने 2 फ़रवरी की विवरणी में रू. 10,000 का लेनदेन दिखाई देगा। कार्डधारक को 22 फरवरी, 2015 तक की बकाया राशि का भुगतान करना होगा, यानि विवरणी की तारीख से 20 दिन में, पूरी राशि या न्यूनतम बकाया राशि के बीच कुछ भी।

यदि कार्डधारक न्यूनतम बकाया राशि या अधिक का भुगतान 22 फरवरी, 2015 तक नहीं करता है, तो उसे रू.500 विलंब भुगतान प्रभार का भुगतान करना होगा। (रू.1000 से अधिक और रू.10,000 तक के लिए रु. 500)।

उदाहरण **2 -**

कार्ड विवरणी तिथि - प्रत्येक माह की 2 तारीख

3 फरवरी ’15 - 2 मार्च ’15 के बीच किए गए लेन-देन पर

1. रू.2000 की खुदरा खरीद पर -8 फरवरी ’15 को
2. रू. 2500 की ऑनलाइन खरीद पर -19 फरवरी ’15 को

मान लिया जाये कि 2 जनवरी, 2015 की विवरणी से कोई पिछला शेष आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को अपने 2 मार्च की विवरणी में रू. 4500 का लेनदेन दिखाई देगा। कार्डधारक को 22 मार्च, 2015 तक की बकाया राशि का भुगतान करना होगा, यानि विवरणी की तारीख से 20 दिन में, पूरी राशि या न्यूनतम बकाया राशि के बीच कुछ भी।

यदि कार्डधारक न्यूनतम बकाया राशि या अधिक का भुगतान 22 मार्च., 2015 तक नहीं करता है, तो उसे रू.500 विलंब भुगतान प्रभार का भुगतान करना होगा। (रू.1000 से अधिक और रू.10,000 तक के लिए रु. 500)।

A. ओवरलिमिट शुल्क - एक सेवा के संकेत के रूप में, एसबीआई कार्ड कार्डधारक द्वारा उसकी क्रेडिट लिमिट से अधिक राशि के कुछ लेनदेन भी स्वीकार कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि, यदि बकाया राशि क्रेडिट लिमिट से अधिक है,

तो ओवरलिमिट राशि का 2.5% या 500 रुपये, जो भी अधिक हो, ओवरलिमिट शुल्क लगाया जाएगा। शुल्क और / या ब्याज प्रभारों की वजह से भी ओवरलिमिट की स्थिति बन सकती है।

B. अस्वीकृत भुगतान शुल्क

कोई भुगतान अस्वीकृत होने पर, कार्डहोल्डर द्वारा रू.350 या भुगतान की गई राशि का 2%, जो भी अधिक हो, अस्वीकृत भुगतान शुल्क देय होगा।

C. अन्य प्रभार:

- कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क: रू. 100 - रू. 250
- प्रभार-परची पुनःप्राप्ति शुल्क: रू. 225/
- चेक की फीस : रूपये 100 (रूपये 2000 तक की रकम का भुगतान चेक से करने पर)
- चेक संग्रह शुल्क: रू.90/-
- विवरणी पुनःप्राप्ति शुल्क: 2 माह से अधिक पुरानी विवरणी के लिए रू 100/- प्रति विवरणी
- विदेशी मुद्रा लेने देन प्रभार : 3.5 प्रतिशत (इलाईट कार्ड को छोड़कर बाकी सभी कार्डो पर)

  1.99 प्रतिशत (केवल इलाई कार्डधारकों के लिए)

विदेशी मुद्रा लेनदेन को रू. में परिवर्तित करने की विनिमय दर वीजा / मास्टरकार्ड, जो भी लागू हो, द्वारा एसबीआई कार्ड से हुए लेनदेन की तिथि पर उनके द्वारा लागू विनिमय दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो हो सकता है वह तारीख न हो जिस पर लेनदेन किया गया था। विदेशी मुद्रा लेन–देन फीस वीजा/मास्टर कार्ड द्वारा साझा की गई भारतीय मुद्रा में परिवर्तित रकम पर लागू होगा।

2. लिमिट

कार्ड धारकों के लिए क्रेडिट लिमिट और नकद सीमा आंतरिक एसबीआईसीपीएसएल क्रेडिट मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाती है (ऐड-ऑन कार्ड धारकों के लिए भी वही सीमा होती है जो प्राथमिक खाता धारकों के लिए है)।

कार्डधारक को इन सीमाओं के बारे में कार्ड वितरण के समय में सूचित किया जाता है। कार्डधारक को क्रेडिट लिमिट और नकद सीमा की सूचना हर विवरणी में दी जाती है। विवरणी बनाते समय उपलब्ध क्रेडिट लिमिट (अर्थात् उपयोग के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिमिट) की जानकारी विवरणी के एक भाग के रूप में दी जाती है। एसबीआईसीपीएसएल समय समय पर कार्ड धारक के खाते की समीक्षा करेंगे, और आंतरिक मानदंडों के आधार पर कार्डधारक की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई या कम की जाती है। अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के इच्छुक कार्डधारक एसबीआईसीपीएसएल को लिख कर और अपनी आय घोषित करने वाले वित्तीय दस्तावेजों को उपलब्ध कराकर यह कर सकता है। एसबीआईसीपीएसएल, अपने विवेकाधिकार पर और इस तरह प्रदान किए गए नए दस्तावेजों के आधार पर, कार्डधारक की क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकता है।

3. बिलिंग और विवरणी

a) एसबीआईसीपीएसएल कार्डधारक को एक मासिक विवरण भेजेगा जिमें कार्डधारक के खाते में पिछली विवरणी के बाद से जमा और नामे किए गए लेनदेन दर्शाए जाएंगे, बशर्ते उक्त अवधि के दौरान कार्ड सक्रिय रहा हो। एसबीआईसीपीएसएल, एक पूर्व निर्धारित तिथि पर, कार्ड के खाते में हुए लेन-देन की विवरणी या तो अपने रिकार्ड में उपलब्ध पते पर डाक से या ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजेगा।

b) क्रेडिट कार्डधारक को एक परिक्रामी क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। कार्डधारक केवल विवरणी पर छपी न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है और इस तरह का भुगतान नियत तिथि, जो आपकी विवरणी पर छपी होती है, से पहले किया जाना चाहिए। बकाया राशि बाद की विवरणी में ले जाई जा सकती है। कार्डधारक कुल देय राशि या इसका कोई भी भाग या न्यूनतम बकाया राशि से अधिक कोई भी राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। कार्डधारक की क्रेडिट लिमिट से अधिक देय राशि के अलावा पिछली विवरणी की कोई भी बकाया न्यूनतम राशि को कार्डधारक की वर्तमान न्यूनतम देय राशि में जोड़ दिया जाएगा।

उदाहरण - न्यूनतम देय राशि बकाया राशि का 5% या 200 रुपये (जो भी अधिक हो) के साथ ही सभी लागू कर और ईएमआई (केवल ईएमआई आधारित उत्पादों के मामले में) होगी। यदि नकदी या क्रेडिट लिमिट पार कर ली जाती है तो ओवरलिमिट (OVL) राशि को भी न्यूनतम देय राशि (MAD) में शामिल कर लिया जाएगा। पिछली विवरणी की कोई भी अदत्त MAD, यदि कोई हो तो, को भी न्यूनतम देय राशि (MAD) में शामिल कर लिया जाएगा।

c) कार्ड की बकाया राशि चुकता करने के लिए किया गया भुगतान अगली विवरणी में दर्शाया जाता है।

d) कार्डधारक के कार्ड की बकाया राशि जमा होने पर इसे सबसे पहले सभी न्यूनतम बकाया राशि से समायोजित किया जाएगा (जिसमें सभी लागू कर + ईएमआई आधारित उत्पाद का ईएमआई शुल्क + कुल बकाया की 5% राशि), शुल्क और अन्य प्रभार, ब्याज प्रभार, शेष बकाया राशि का स्थानांतरण बकाया, खरीद बकाया और अग्रिम नकद इसी क्रम में शामिल होंगे।

e) कार्ड खाते का भुगतान निम्न में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है:
www.sbicard.com पर लॉगिन कर और PayNet विकल्प का उपयोग कर नेटबैंकिंग के माध्यम से या अपने एसबीआई एटीएम सह डेबिट कार्ड द्वारा।
विवरणी के पिछले भाग में दिए गए डाक के पते पर एक चैक या ड्राफ्ट भेजकर।
अपने शहर में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नामित शाखाओं में कहीं भी रखे एसबीआई कार्ड ड्रॉप बॉक्स में चैक या ड्राफ्ट डाल कर।
चैक / ड्राफ्ट "एसबीआई कार्ड संख्या XXXX XXXX XXXX XXXX" को देय होना चाहिए।
एनएसीएच: चुनिंदा शहरों में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

f) एसबीआई कार्ड बकाया बिल का भुगतान करने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है, जो मासिक विवरणी के पीछे और एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

g) बिलिंग विवाद: यदि कार्डधारक विवरणी की तारीख के 30 दिनों के भीतर एसबीआईसीपीएसएल को किसी भी विसंगति के बारे में नहीं बताता है, और जबतक

इन विसंगतियों को एसबीआईसीपीएसएल द्वारा सही नहीं पाया जाता है, विवरणी की सभी सामग्री को सही और कार्डधारक द्वारा स्वीकार माना जाएगा। इस तरह की जानकारी प्राप्त होने पर, एसबीआईसीपीएसएल अस्थायी आधार पर प्रभार रद्द कर सकता है। बाद में जांच के पूरा होने पर, यदि इस तरह के प्रभार का दायित्व कार्डधारक का पाया जाता है तो, इन प्रभारों को अगली विवरणी में बहाल कर दिया जाएगा, रू.225 प्रति प्रभार परची पुनःप्राप्ति प्रभार के साथ।

h) ग्राहक शिकायत निवारण: सभी शिकायतें नोडल अधिकारी, पीओ बैग 28, जीपीओ, नई दिल्ली - 110001 या ई-मेल Nodalofficer@sbicard.com पर भेजी जाना चाहिए।

i) संपर्क विवरण:

सभी फोन से : 39 02 02 02 (मोबाइल से फोन करते समय अपने शहर का एसटीडी कोड आगे लगाएं) या 1860 180 1290

एसबीआई रेलवे क्रेडिट कार्ड के लिए: भारत में कहीं से भी रेलवे एसबीआई क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन से संपर्क करें

सभी फोन से : 39 02 12 12 (मोबाइल से फोन करते समय अपने शहर का एसटीडी कोड आगे लगाएं) या 1800 180 1295

पत्र-व्यवहार: डाक भेजने का पता, प्रबंधक - ग्राहक सेवा, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, डीएलएफ इन्फिनिटी टॉवर, टॉवर सी, 12 वीं मंजिल, ब्लॉक 2, बिल्डिंग 3, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव-122002 (हरियाणा) भारत www.sbicard.com या पीओ बैग 28 - जीपीओ, नई दिल्ली - 110001, ई-मेल के लिए **feedback@sbicard.com**।

4. **बकाया वसूली**

बकाया की स्थिति में, कार्ड धारक को कार्ड खाते में किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए समय समय पर डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश

द्वारा रिमांइडर भेजे जाएंगे, और / या उनसे संपर्क करने और बकाया राशि एकत्र करने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त कोई भी तीसरा पक्ष, ऋण वसूली पर आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेगा।

एक क्रेडिट कार्डधारक की बकाया स्थिति को क्रेडिट सूचना कंपनी जिसने आरबीआई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तथा एसबीआईसीपीएसएल उसका सदस्य हो, को बताने से पहले हम कार्डधारक को एक महीने का नोटिस देंगे।

इसके अलावा यह भी ज्ञात होना चाहिए, कि अगर एक बकायेदार घोषित कार्डधारक, अपना बकाया खत्म करता है, तो एसबीआईसीपीएसएल क्रेडिट सूचना कंपनी से बकायेदार स्थिति को वापिस ले लेगी। इस तरह के बदलावों को उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट में दिखने में 45–60 दिन का समय लगेगा।

क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को संचालित करने वाले दिशा–निर्देश अतिरिक्त/एड आन कार्डधारक पर भी लागू होंगे।

एसबीआईसीपीएल कार्डधारक का डाटा क्रेडिट सूचना कंपनी को एक तय फार्मेट में हर महीने देती है। क्रेडिट सूचना कंपनी जमा किए हुए डाटा को अपने सर्वर पर 30 दिनों के अंदर डालती है।

प्राथमिक कार्ड धारक के दिवालियापन या मृत्यु होने पर, कार्ड खाते की कुल बकाया राशि, किसी भी प्रभावी लेकिन अभी तक कार्ड खाते में नहीं लगाए गए प्रभार सहित, एसबीआईसीपीएसएल को तुरंत देय और पूर्णतः भुगतान योग्य हो जाएगी और कार्ड खाता तुरंत रद्द हो जाएगा। कार्ड खाते की किसी भी बकाया राशि की वसूली प्राथमिक कार्डधारक की संपत्ति से की जाएगी और एसबीआईसीपीएसएल को हर हालत में क्षतिपूरित रखा जाएगा, जिसमें वैधानिक शुल्क और इस तरह के बकाया वसूली में किए गए अन्य खर्च भी शामिल होंगे। इस तरह के भुगतान लंबित रहने पर, एसबीआईसीपीएसएल इसकी प्रचलित दरों पर वित्तीय प्रभार लगाते रहने का हकदार होगा।

5 कार्डधारिता समाप्ति / निरसन

a) कार्डधारक एसबीआईसीपीएसएल को लिख कर, एसबीआई कार्ड या हेल्पलाइन पर फोन लगाकर, और कार्ड(ओं) को तिरछा काट कर किसी भी समय इस करार को खत्म कर सकता है। सभी कार्ड, ऐड-ऑन कार्ड सहित, लिखित अनुरोध के आधार पर समाप्त हो जाएंगे। यह समाप्ति कार्ड खाते में बकाया समस्त राशि के भुगतान के बाद प्रभावी हो जाएगी। कोई वार्षिक, शामिल होने या नवीकरण शुल्क समानुपातिक आधार पर वापस नहीं किया जाएगा।

b) एसबीआईसीपीएसएल किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना कार्डधारक खाते के उपयोग को सीमित, निलंबित या समाप्त भी कर सकता है यदि एसबीआईसीपीएसएल इसे यथोचित रूप से व्यापार या सुरक्षा कारणों के लिए और / या किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुरोध पर, और / या किसी भी सरकारी अधिकारी और / या एसबीआईसीपीएसएल और इसके ग्राहकों के लिए लागू कानूनों और नियमों के तहत आवश्यक मानता है।

यदि कार्डधारक भुगतान में चूक करता है या विस्तारित क्रेडिट लिमिट पार कर लेता है, तो एसबीआईसीपीएसएल क्रेडिट कार्ड की सुविधा निलंबित कर सकता है। कार्ड समझौता समाप्त होने के बाद या कार्ड खाते के उपयोग के निलंबन की स्थिति में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

c) ऐसी स्थिति में, कार्डधारक को (कोई चूक या वैधानिक रूप से अपेक्षित अन्य सूचना के अधीन) तुरंत एसबीआईसीपीएसएल खाते की कुल बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इसमें करार के तहत एसबीआईसीपीएसएल को देय समस्त राशि, सभी लेनदेन और अभी तक खाते में नहीं लगाए गए प्रभार की अन्य राशि भी शामिल है। कार्डधारक के खाते को तब तक बंद नहीं माना जाएगा जब तक कार्डधारक ऐसे सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

6. कार्ड की क्षति/चोरी/दुरूपयोग

a) यदि प्राथमिक या कोई भी अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड मिल नहीं रहा है, खो गया है, चोरी हो गया है, विकृत हो गया है, नियत तिथि तक नहीं मिला है या क्रेडिट कार्डधारक को संदेह है कि उसकी अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल किया जा रहा तो, कार्डधारक को जितनी जल्दी हो सके एसबीआई कार्ड हेल्पलाइन पर एसबीआईसीपीएसएल से संपर्क करना चाहिए। एक बार कार्ड खोने की सूचना देने के

बाद, इसके मिल जाने पर, कार्ड धारक द्वारा किसी भी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कार्डधारक द्वारा इसे तिरछा रखकर दो भाग में काट देना चाहिए।

- कार्डधारक या तो आईवीआर या हमारी वेबसाइट sbicard.com पर या एसएमएस आधारित सेवा के माध्यम से तुरंत कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हैं।
- एसएमएस के माध्यम से अपना खोए / चोरी हुए कार्ड को ब्लॉक करने के लिए, सिर्फ BLOCK XXXX लिखकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 5676791 पर एसएमएस करें। (XXXX = आपके कार्ड के अंतिम 4 नंबर)। यदि आपको अपने अनुरोध के 5 मिनट के भीतर एक पुष्टिकरण एसएमएस प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया यह ना मानें की आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। आपके कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए और किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए तुरंत हेल्पलाइन को फोन करें।

b) एसबीआईसीपीएसएल को कार्ड के नुकसान की रिपोर्टिंग के समय से पहले कार्ड खाते में किए गए किसी भी लेन-देन के लिए एसबीआईसीपीएसएल उत्तरदायी या ज़िम्मेदार नहीं रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्डधारक की ही होगी। कार्ड की हानि या चोरी के बारे में एसबीआईसीपीएसएल को सूचित करने के अलावा, कार्डधारक को क्रेडिट कार्ड(ओं) की किसी भी चोरी की रिपोर्ट पुलिस से करना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। तथापि, यदि कार्ड किसी को मिल जाता है और वह धारक की सहमति से, या एक अतिरिक्त कार्डधारक की सहमति से, कार्ड या पिन का दुरुपयोग करता है तो इस तरह के सभी नुकसान के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा।

a) यदि कार्डधारक ने धोखे का काम किया है, तो सभी नुकसान के लिए कार्ड धारक उत्तरदायी होगा। यदि कार्डधारक उचित सावधानी के बिना कार्य करता है, तो सभी नुकसान के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा। यदि कार्डधारक एसबीआईसीपीएसएल द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन करने में भी विफल रहता तो भी सभी नुकसान के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा।

a) एसबीआईसीपीएसएल, कार्ड धारक या किसी भी अतिरिक्त कार्डधारक से चर्चा किए बिना, कार्ड या पिन के नुकसान, चोरी या दुरुपयोग के बारे में प्रासंगिक कोई भी जानकारी पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों को को दे सकता है।

b) संपर्क विवरण में या अपने क्रेडिट कार्ड के खाते से जुड़े मोबाइल नंबर में परिवर्तन की सूचना प्रणाली में उपलब्ध आपके पहले एवं नए संपर्क विवरण पर दी जाएगी। आपको हमारे रिकॉर्ड में अपना मौजूदा संपर्क विवरण और मोबाइल नंबर अद्यतन रखने की सलाह दी जाती है।

c) "एसबीआई कार्ड गुम/चोरी हुए कुछ कार्डों पर अतिरिक्त बीमा कवर देती है। यह बीमा टाटा एआईजी जनरल बीमा कंपनी या एसबीआई कार्ड द्वारा समय समय पर तय की गई कंपनी द्वारा दिया जाता है।
टाटा एआईजी जनरल बीमा कंपनी इस मामले में किस भी क्लेम अदायगी के लिए जिम्मेदार है और एसबीआई कार्ड क्लेम अदायगी से उत्पन्न किसी भी वाद–विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। बीमा के दिशा–निर्देशों की अधिक जानकारी के लिए, कार्डधारकों को स्वागत किट में ब्रोशर देखने के लिए कहा जाता है या www.sbicard.com पर जायें।

7. **प्रकटीकरण**

क्रेडिट सूचना कंपनी भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए भारत सरकार तथा आरबीआई द्वारा संचालित उपक्रम है। यह आरबीआई के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए प्रभावशाली प्रक्रिया प्रदान करने के प्रयासों के अनुरूप है, जिससे कार्डधारक विभिन्न संस्थाओं से बेहतर क्रेडिट संबंध प्राप्त करने योग्य बनते हैं।

कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि एसबीआईसीपीएल कार्डधारक की जानकारी एक क्रेडिट सूचना कंपनी (जिसने आरबीआई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रखा हो) से साझा कर सकता है।
एसबीआईसीपीएल एक क्रेडिट सूचना कंपनी को 45–60 दिनों के अंदर कार्डधारक को वापिस करने संबंधी रिकार्ड की जानकारी देगा।

किसी वाद–विवाद की स्थिति में, एसबीआईसीपीएल कार्डधारक को बकायेदार रिपोर्ट करने से पहले रिपोर्टिंग प्रक्रिया में जरूरी बदलाव करेगा। हालांकि, यह भी ध्यान में रखा जाना

चाहिए कि इस प्रकार की जानकारी जांचने के लिए उपलब्ध हो ताकि खुलासा समय की प्रासंगिकता में हो सके और उत्पन्न विवादों का समाधान हो पाए।

कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि एसबीआईसीपीएसएल को, कार्डधारक को इस आशय की किसी भी सूचना के बिना, वर्तमान में या भविष्य में किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के साथ कार्डधारक की जानकारी साझा करने का अधिकार है, और इस तरह की जानकारी कार्डधारक के सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन / चूक से संबंधित हो सकती है। इस तरह के अद्यतन क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में प्रतिबिंबित होने में 45-60 दिन लग सकते हैं।

क्रेडिट ब्यूरो भारतीय वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता और स्थिरता में सुधार करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक पहल है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने, और कार्ड धारकों को विभिन्न संस्थानों से बेहतर क्रेडिट शर्तों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों में से एक है।

कार्डधारक यह भी स्वीकार करता है कि कार्ड खातों के समुचित संचालन, सत्यापन और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए एसबीआईसीपीएसएल को, वित्तीय संस्थान, नियोक्ता और एसबीआईसीपीएसएल से जुड़े हुए अन्य तीसरे पक्षों के भुगतान में चूक सहित, कार्डधारक की अन्य जानकारी साझा करने का अधिकार है ।

एसबीआईसीपीएसएल विपणन के प्रयोजनों के लिए और एसबीआईसीपीएसएल के या अपने समूह की कंपनियों, सहायक, सहयोगियों और / या सहभागियों विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश के लिए किसी भी पेरेंट, सहायक, सहयोगी या एसबीआईसीपीएसएल या इसकी सहयोगी कंपनी के साथ कार्डधारक की जानकारी साझा कर सकता है।

एसबीआई कार्ड के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें www.sbicard.com पर भी उपलब्ध हैं।

जरूरी नियामक सूचना :

भारत तथा विदेश दोनों जगह कार्ड इस्तेमाल करने के लिए वैध है। हालांकि, यह नेपाल तथा भूटान में विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए वैध नहीं है।
भारत से बाहर कार्ड का उपयोग विदेशी लेने–देन एक्सचेंज एक्ट, 1999 तथा आरबीआई के लेन–देन नियामकों को संलग्न करते हुए अमल किए गए कानूनों के अनुसार होना चाहिए। इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टलस के द्वारा विदेशी मुद्रा लेने–देन की मंजूरी नहीं है। किसी भी दशा में नियम तोड़ने या ना मानने पर आप दंडात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार है। आप अपने पंजीकृत डीलर (एडी) से अपने विदेशी लेन–देन अधिकारों के बारे में पूछ सकते हैं।
अगर आपके क्रेडिट कार्ड खाते में कोई भी क्रेडिट बकाया राशि है, एसबीआई का यह अधिकार है कि वह इस क्रेडिट बकाया राशि को आपको वापिस करे।
कृप्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेशी संस्थाओं में निवेश या विदेशों में संस्थाओं की स्थापना जैसे कैपिटल अकाउंट लेन–देन के लिए ना करें क्योंकि यह आरबीआई के मास्टर निर्देश – विदेशों में साझेदार कंपनियों/पूर्ण स्वामित्व वाली अतिरिक्त इकाईयों में सीधे निवेश के अंतर्गत निवेश करने क मान्य तरीका नहीं है।
आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार – भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए भारत से विभिन्न तरीके के भुगतानों पर मास्टर सर्कुलर, अवैध चीजों की खरीदारी जैसे लॉटरी टिकट, अवैध मैगजींस, जुए में भागीदारी, कॉल बैक सेवाओं के लिए भुगतान आदि के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है क्योंकि इन चीजों के लिए विदेशी मुद्रा निकालने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कृप्या भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए भारत से विभिन्न तरीके के भुगतानों पर ज्यादा जानकारी के लिए मास्टर सर्कुलर पढ़ें।

एसबीआईसीपीएसएल मूल्य निर्धारण नीति

1: प्रभारोंकीअनुसूची

शुल्क	
वार्षिक शुल्क (एक बार)	रू. 0 - रू. 4999
नवीकरण शुल्क (प्रति वर्ष)	रू. 0 - रू. 4999
अतिरिक्त शुल्क (प्रति वर्ष)	Nil
विस्तारित क्रेडिट	
ब्याज मुक्त ऋण की अवधि	20-50 दिन (केवल खुदरा खरीद पर और यदि पिछले महीने की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किया जाता है)
वित्तीय प्रभार#	3.35% प्र.मा. (40.2% प्रति वर्ष) गैर जमानती कार्ड; 2.5% प्र.मा. (30% प्रति वर्ष) जमानती कार्ड
न्यूनतम देय राशि	कुल बकाया राशि का 5% (न्यूनतम रू. 200) + सभी लागू कर + इएमआई (इएमआई आधारित उत्पादों के मामले में) +OVL राशि (यदि कोई हो)
अग्रिम नकदी	
अग्रिम नकदी सीमा	80% क्रेडिट लिमिट तक (अधिकतम 12K / दिन स्वर्ण और टीटेनियम के लिए व 15K / दिन प्लेटिनम कार्ड और ऐलीट / सिग्नेचर कार्ड के लिए)
निःशुल्क क्रेडिट अवधि	Nil
वित्तीय प्रभार#	3.35% प्र.मा. (40.2% प्रति वर्ष) निकासी की तिथि से
अग्रिम नकदी शुल्क	
SBI ATMs/अन्य घरेलू ATMs	लेनदेन राशि का 2.5% (न्यूनतम रू. 300 के अधीन)
अंतरराष्ट्रीय ATMs	लेनदेन राशि का 3.0% (न्यूनतम रू. 300 के अधीन)
अन्य प्रभार व शुल्क	
नकद भुगतान शुल्क	रू.100
चेक संग्रह	रू. 90
अस्वीकृत भुगतान शुल्क	चेक राशि का 2% (न्यूनतम रू. 350 के अधीन)
विवरणी पुनःप्राप्ति	रू. 100 प्रति विवरणी (>2 माह पुराने)
चेक शुल्क :	रू. 225 प्रति प्रभार परची

प्रभार परची पुनःप्राप्ति	
विलंबित भुगतान	रू.0-रू.200 तक कुल देय राशि पर NIL; रू.200 से अधिक व रू. 500 तक की कुल देय राशि पर रू. 100; रू.500 से अधिक व रू. 1000 तक की कुल देय राशि पर रू. 400; रू.1000 से अधिक व रू. 10000 तक की कुल देय राशि पर रू. 500; रू.10000 से अधिक की कुल देय राशि पर रू. 750;
ओवरलिमिट	ओवरलिमिट राशि का 2.5% (न्यूनतम रू. 500 के अधीन)
कार्ड रिप्लेसमेंट	रू. 100 - रू. 250
आपातकालीन कार्ड रिप्लेसमेंट (जब विदेश में हों)	वास्तविक लागत (न्यूनत. $175)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	विदेशी मुद्रा लेन देन प्रभार : 3.5 प्रतिशत (इलाईट कार्ड को छोड़कर बाकी सभी कार्डो पर) 1.99 प्रतिशत (केवल इलाईट कार्डधारकों के लिए)
रिवार्ड रिडेम्पशन शुल्क	रू. 99
अधिभार	
रेलवे टिकिट - रेलवे काउंटर	रू. 30 + लेनदेन राशि का 2.5%
रेलवे टिकिट - www.irctc.co.in	लेनदेन राशि का 1.8% + सेवा प्रभार, जो भी लागू हो
पेट्रोल व पेट्रोल पंप पर बेची गई अन्य उत्पाद /सेवाएं	लेनदेन राशि का 2.5% या रू. 10 जो भी अधिक हो अधिभार छूट 2.5% (सभी करों को छोड़कर + अन्य प्रभार) सिग्नेचर / ऐलीट और प्लेटिनम कार्ड के लिए रू.500 और रू.4000 के बीच एकल लेनदेन व्यय;

	अन्य सभी कार्ड के लिए रू.500 और रू.3000.
	सिग्नेचर / ऐलीट और प्लेटिनम कार्ड के लिए अधिकतम अधिभार छूट रू.250 प्रति विवरणी चक्र प्रति क्रेडिट कार्ड खाता; अन्य सभी कार्ड के लिए रू.100 प्रति क्रेडिट कार्ड खाता
सीमा शुल्क का भुगतान	लेनदेन राशि का 2.25% (न्यूनतम रू. 75)

उपरोक्त समस्त शुल्क, ब्याज और प्रभारों पर सभी लागू कर लगाए जाएंगे।

- “लागू कर” (1 जुलाई, 2017 या उसके बाद जारी की गई स्टेटमेंट पर) जिसका मतलब:
- कार्ड उपभोक्ता जिनका एसबीआई कार्ड के रिकॉर्ड में स्टेटमेंट की तारीख पर निवास स्थान “हरियाणा” है - केन्द्रीय कर 9 प्रतिशत और राज्य कर 9 प्रतिशत की दर से।
- कार्ड उपभोक्ता जिनका एसबीआई कार्ड के रिकॉर्ड में स्टेटमेंट की तारीख पर निवास स्थान “हरियाणा के अलावा” है - संकलित कर 18 प्रतिशत की दर से।

किसी कार्डधारक खाते के लिए किए गए समस्त भुगतान की राशि की पुर्नभुगतान राशि में से, पहले न्यूनतम बकाया राशि समायोजित की जाएगी (सभी लागू कर सहित, ईएमआई पर आधारित उत्पाद की ईएमआई + कुल बकाया का 5%), शुल्क और अन्य प्रभार, ब्याज प्रभार, शेष राशि स्थानांतरण शेष, खरीद शेष अग्रिम नकदी।

*